(तीन) न्यायिक प्रशासन में सुधार के संबंध में सुझाव देना.

(चार) न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रणाली, विधि शिक्षा प्रदान करने तथा विधि व्यवसायियों के स्तर की उन्नति के संबंध में सुझाव देना.

(पांच) विधि, विधायी, विधिक सुधार तथा विधिक कार्यकलापों से संबंधित विषयों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किए जाएं, रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

(छह) कोई अन्य विषय जो राज्य शासन की ओर से निर्दिष्ट किये जाएं.

(सात) आयोग, स्वयं अपनी ओर से भी, ऊपर उल्लिखित किसी भी विषय पर, यदि उसमें लोक हित अंतर्वलित है, रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा.

4. आयोग की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा इस अवधि को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा.

5. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा तथा अध्यक्ष का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चित किया जाये.

6. आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील होगी.

F. No. 1599-XXI-B(2)-2018.—The State Government, hereby, constitute the Madhya Pradesh Law Commission, consisting of the following:—

(1) Chairperson;

(2) One full-time Member Secretary;

(3) Two part time Members.

2. The Commission may from time to time, co-opt such members as it deems necessary but no such co-option shall be made without approval of the State Government.

3. The terms of reference of the Law Commission shall be as under:

(i) To examine the State Acts of general application and importance and to suggest the outline on the basis of which such Acts may be amended, revised, consolidated or up-dated.

(ii) To make suggestion regarding the revision of the laws.

(iii) To make suggestion regarding the improvement in Judicial administration.

(iv) To make suggestions regarding improvement in, recruitment system of judicial officers, imparting of legal education and standard of legal practitioners.

(v) To submit report on the subjects relating to law, legislative, legal reforms and legal activities as may be assigned by the State Government from time to time.